कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 251/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.06.2026

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- रौनापार, जनपद आजमगढ़

□ मानव तस्करी प्रकरण में आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, नाबालिग की खरीद-फरोख्त मामले की वांछित महिला अभियुक्ता दबोची गई

□ नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर राजस्थान में बेचने के मामले में वांछित सह-अभियुक्ता गिरफ्तार

➡□ **पूर्व की घटना/इतिहास-**

दिनांक 12.10.2024 को वादी मुकदमा थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ की तहरीर पर उनकी नाबालिग बहन को अभियुक्त सुनील यादव द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना रौनापार पर **मु0अ0सं0 395/2024** धारा **137(2), 87 बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण एवं आयु संबंधी अभिलेखों के आधार पर मुकदमे में **धारा 61(2), 98, 99, 70(1) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना में अभियुक्त **अनिल यादव, पुष्पा, श्रीमती देवी** तथा पीड़िता के अज्ञात क्रेता का नाम प्रकाश में आया।

प्रकरण में मुख्य अभियुक्त **सुनील यादव** एवं **अनिल यादव** को दिनांक 03.12.2024 तथा अभियुक्ता **श्रीमती देवी** को दिनांक 05.01.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। शेष वांछित सह-अभियुक्ता **पुष्पा** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी।

➡□ गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्रदेव यादव मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक **29.06.2026** को ग्राम **चिलबिली रोड सपहा पाठक तिराहा** से वांछित सह-अभियुक्ता **पुष्पा पुत्री श्रीराम** को समय **08:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को नियमानुसार दी गई तथा अभियुक्ता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡□ पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 395/2024 धारा **137(2), 87, 61(2), 98, 99, 70(1) बीएनएस तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट**, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

➡□ गिरफ्तार अभियुक्ता-

पुष्पा पुत्री श्रीराम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम नकीब खोजौली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

हाल पता- पत्नी मुकेश दान, ग्राम खिलेरिया, थाना सरदारशहर, जनपद चूरू (राजस्थान)।

➡□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 चन्द्रदेव यादव थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

उ0नि0 सुमित सिंह थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

म0का0 आरजू थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

का0 सिकन्दर बासफोर थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस नाबालिगों के विरुद्ध अपराध एवं मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़

☐ अवैध असलहों के विरुद्ध सिधारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
☐ 02 देशी तमंचे व 02 जिंदा कारतूस बरामद, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत

➡घटना का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी के नेतृत्व में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक **29.06.2026** को उ0नि0 **मुरारी मिश्रा** मय पुलिस टीम द्वारा **भदुली अण्डरपास** के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों को समय **07:29 बजे** गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से **02 अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं 02 अदद जिंदा कारतूस** बरामद हुए।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त

सनी गिहार पुत्र मनोज गिहार, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी गिहार कॉलोनी, भोगांव, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी।
सनी कुमार पुत्र कृष्ण मुरारी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गिहार कॉलोनी, भोगांव, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी।

➡ बरामदगी

02 अदद देशी तमंचा (.315 बोर)
02 अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर)

➡पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 269/2026, धारा **3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

➡आपराधिक इतिहास

सनी गिहार
मु0अ0सं0 640/2018 धारा 41 सीआरपीसी, थाना भोगांव, मैनपुरी।
मु0अ0सं0 658/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम एवं 272 भादवि, थाना कोतवाली, मैनपुरी।
सनी कुमार
मु0अ0सं0 13/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना भोगांव, मैनपुरी।
मु0अ0सं0 247/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना भोगांव, मैनपुरी।
मु0अ0सं0 725/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना भोगांव, मैनपुरी।

➡ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 मुरारी मिश्रा, चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़
हे0का0 मनोज कुमार यादव थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़
का0 अंकित कुमार सिंह थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़
का0 अतुल राजभर थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़
का0 मनोज कुमार थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़
जनपद आजमगढ़ पुलिस अवैध शस्त्र रखने एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए सतत प्रतिबद्ध है।

थाना- दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

☐ मारपीट एवं जानलेवा हमले के मामले में दीदारगंज पुलिस की कार्रवाई, 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
☐ घटना में प्रयुक्त 02 डंडे व 01 लोहे की सरिया बरामद, अभियुक्तों को न्यायालय भेजा गया

➡घटना का विवरण

दिनांक 27.06.2026 को थाना दीदारगंज क्षेत्र के ग्राम अमनावे में गेहूं चोरी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों एवं लोहे की सरिया से मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आईं।
उक्त प्रकरण में वादी उ0नि0 पंकज कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 122/2026 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के बाद नामजद अभियुक्त फरार चल रहे थे।

➡गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज के नेतृत्व में दिनांक 29.06.2026 को उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा कुशलगांव बस स्टैंड से तीनों वांछित अभियुक्तों को समय 08:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुरजीत राजभर पुत्र छोटेलाल राजभर
2. विशुन उर्फ विष्णु राजभर पुत्र छोटेलाल राजभर
3. अंगेश राजभर पुत्र छोटेलाल राजभर

निवासीगण ग्राम टड़िया महुजा नेवादा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

➡पूछताछ

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

➡बरामदगी

02 अदद डंडे
01 अदद लोहे की सरिया (घटना में प्रयुक्त)

➡पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 122/2026, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

➡गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह यादव
का0 शिवपाल सिंह
रि0का0 सत्यम कुमार यादव
रि0का0 संदीप पटेल

जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए सतत प्रतिबद्ध है।

थाना- निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

☐ मलेशियाई नागरिक बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले अभियुक्त की ₹2,33,465 की अवैध धनराशि न्यायालय के आदेश से जब्त

☐ धारा 107(2) बीएनएसएस के तहत बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से अर्जित सरकारी धन राजकोष में जमा कराने का आदेश

➡☐ घटना का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं आर्थिक अनियमितताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

विवेचना में प्रकाश में आया कि अभियुक्त **मो० कुद्दूस उर्फ कुद्दूस पुत्र अलीरजा**, मूल निवासी ग्राम सुराई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, मलेशिया की नागरिकता एवं पासपोर्ट प्राप्त करने के बावजूद भारत में स्वयं को भारतीय नागरिक दर्शाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए हुए था तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा था।

उक्त संबंध में थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 71/2026** पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को दिनांक **25.03.2026** को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

➡☐ विवेचना में प्राप्त तथ्य

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त ने कूटरचित अभिलेखों के आधार पर **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** एवं **मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष** सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किया। विवेचना में उसके बैंक खाते में उपलब्ध **₹2,33,465** की धनराशि को अपराध से अर्जित संपत्ति पाए जाने पर फ्रीज किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर के अनुमोदन के उपरांत मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-10, आजमगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक **24.06.2026** को **धारा 107(2) बीएनएसएस** के

अंतर्गत उक्त **₹2,33,465** की अवैध धनराशि के अधिग्रहण/जब्तीकरण का आदेश पारित किया गया, जिसे संबंधित सरकारी योजनाओं में जमा कराया जाएगा।

➡ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 71/2026
धारा **318(4), 319, 335, 336(3), 338, 340 बीएनएस**, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

➡ अभियुक्त

मो० कुद्दूस उर्फ कुद्दूस उर्फ **मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाग शाह** पुत्र अलीरजा,
स्थायी पता – ग्राम सुराई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
वर्तमान विदेशी पता – **NO. 43, Jalan Mohd Salleh, 8300 Batu Pahat, Johor, Malaysia**।

➡ कार्रवाई करने वाली टीम

- उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, चौकी प्रभारी रशीदगंज, थाना निजामाबाद
- अभियोजन अधिकारी श्री नवनीत त्रिपाठी

जनपद आजमगढ़ पुलिस सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी, कूटरचना एवं अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।